न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 29/2018

1. गिर्राज
2. जगदीश
3. मीठालाल
4. रमेश
5. रामवतार

} पुत्रान प्रभुलाल जाति पूर्विया, निवासी पीपलदा, तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर, राज0।

अपी0

बनाम

6. कैलाश पुत्र रामपाल
7. सत्यनारायण पुत्र रामपाल
8. बजरंगी बेवा रामपाल

} जातियान पूर्विया निवासीयान पीपलदा, तहसील बौंली, जिला सवाई माधोपुर, राज0।

9. प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा पीपलदा, तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर।
10. तहसीलदार लैण्ड होल्डर, बौंली जिला सवाई माधोपुर।

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उपजिला कलेक्टर बौंली मु0न0 62/2016 निर्णय दिनांक 27.02.2018)

उपस्थित अभिभषाक

1.अपी0 की ओर से श्री पारसमल जैन

2. रेस्पों0 की ओर से श्री आबिद अली

निर्णय दिनांक 15.12.2021

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम 1955) के तहत मु0न0 62/2016 निर्णय दिनांक 27.02.2018 न्यायालय उपजिला कलेक्टर बौंली के विरुद्ध की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में सायलान/रेस्पों. की ओर से एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि सायलान/रेस्पों. व गैरसायलान/अपी0 सं. 1 ल0 5 ग्राम पीपलदा के निवासी है जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:59:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आपस में एक ही कुटुम्ब परिवार के व्यक्ति है जिनकी काश्त जमीन ग्राम पीपलदा में स्थित है। सायलान/रेस्पों. व गैरसायलान/अपी0 सं. 1 ल0 5 का पैतृक काश्त आराजी ग्राम पीपलदा में स्थित है। मुताबिक सजरा खानदान रामचन्द्र के तीन पुत्र कल्याण, बिलास एवं लक्ष्मण ग्राम पीपलदा ठिकाना झिलाय के अधिनस्थ थे। रामचन्द्र द्वारा छोडी गई काश्त भूमि कुल 75 बीघा 8 विस्वा भूमि थी। रामचन्द्र के समय से उक्त भूमि का कोई इन्द्राज नहीं था क्योंकि उक्त भूमि बंटाई पर काश्त के लिये ठिकाने द्वारा हम पक्षकारान को दी गई थी। रामचन्द्र के फौत हो जाने के बाद बडा लडका कल्याण के नाम 50 बीघा 8 विस्वा भूमि खातेदारी में आ गयी तथा बिलास के 25 बीघा भूमि खातेदारी में आ गयी थी। जबकि रामचन्द्र का छोटा लडका लक्ष्मण छोटी उम्र में था तब रामचन्द्र का स्वर्गवास हो चुका था तथा कल्याण व बिलास बडे चतुर पढे लिखे व समझदार व्यक्ति थे। कल्याण ने सन् 2002 से 2004 में हुआ प्रथम सैटलमेंट अधिकारियों से मिलीभगत करके लक्ष्मण के हिस्से की भूमि 25 बीघा अपने नाम लगा ली तथा सायलान/रेस्पों. सं. 1 व 2 का पिताजी उक्त भूमि पर काश्त करता व फसल से लाभान्वित होता चला आया था। रामपाल के फौत हो जाने पर सायलान/रेस्पों. उक्त भूमि पर आज भी काश्त करते चले आ रहे है। मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2034–2037 सायलान/रेस्पों. के नाम खसरा नं. 1443 में रकबा 01 बीघा, ख.नं. 2394 रकबा 10 बीघा 7 विस्वा, ख.नं. 2420 रकबा 4 बीघा भूमि पर अपने कब्जे के अनुसार सहायक भू–प्रबन्धक अधिकारी, सवाई माधोपुर के न्यायालय से इन्द्राज दुरूस्त होकर सायलान/रेस्पों. के नाम 15 बीघा भूमि खातेदारी में लग चुकी है तथा शेष 10 बीघा भूमि खसरा नं. 2416 रकबा 8 बीघा 12 विस्वा जिसके नये सेटलमेंट नं. 5417 रकबा 2.400 है0 भूमि तथा खसरा नं. पुराने 1453 रकबा 4 बीघा 6 विस्वा जिसके नये खसरा नं. 4896 रकबा 0.47 है0 भूमि सायलान/रेस्पों. के कब्जे काश्त की खातेदारी लगने से शेष रह गई थी जिसको गैरसायलान/अपी0 सं. 1 ल0 5 ने सायलान/रेस्पों. से कहा था कि आप जब भी कहेंगे हम तहसील में चलकर रजिस्ट्री करवा देंगे या राजस्व शिविर में आपके नाम लगवा देगें। इस प्रकार गैरसायलान/अपी0 ने सायलान/रेस्पों. को विश्वास में ले रखा था। रामचन्द्र का दूसरा लडका बिलास के खाते में कब्जे व बंटवारा अनुसार खातेदारी में भूमि खसरा नं. 1409, 1571, 2396, 2411, 2412, 2447 कुल किता 6 कुल रकबा 21 बीघा तथा खसरा नं. 1410, 1481, 2417 लगा दिया। [illegible] गोपाल, बद्री ने खसरा नं. 2396 रकबा 3 बीघा 16 विस्वा भूमि [illegible] पुत्र कल्याणमल यादव निवासी पीपलदा को दिनांक 08.03.1990 को बेचान कर दिया है तथा नये सैटलमेंट खाता सं. 713 में दर्ज खसरा नं. 4797, 5337, 5338, 3545, 5317, 5377, 5432, 5433, 5437 कुल किता 8 कुल रकबा 4.1000 है0 तथा खाता संख्या 706 के खसरा नं. 4798

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:59:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रकबा 0.2300 है0 खाता संख्या 709 में दर्ज खसरा नं. 5431/6101, 5438, 5439, 5452, 5453, 5454 कुल किता 6 कुल रकबा 2.0700 है0 जिसमें से रामकरण वगै0 का हिस्सा 1/2 यानी 4 बीघा 4 विस्वा भूमि प्राप्त है तथा रामकरण वगै0 ने जगदीश यादव को विक्रय की गई भूमि के खाता सं. 252 खसरा नं. जो पुराने ख.नं. 2396 से नये खसरा नं. बने है 5166/6498, 5742, 5743, 5751 कुल रकबा 0.9600 है0 भूमि इस प्रकार पुराने खसरा नं. से व नये सैटलमेंट से बिलास के लडके रामकरण वगै0 के 25 बीघा 13 विस्वा भूमि हिस्से में आई है। सायलान/रेस्पों. कि शेष भूमि खसरा नं. 5417 रकबा 2.0400 है0 व ख.नं. 4896 रकबा 0.47 है0 भूमि पर आज भी कब्जा काश्त सायलान/रेस्पों. का चला आ रहा है। उक्त भूमि के एकमात्र स्वामी हम सायलान/रेस्पों. ही है। अन्य व्यक्ति का उक्त भूमि से कोई लेना देना व किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं हैं। उपरोक्त विवादित भूमि पर सायलान/रेस्पों. दिनांक 05.08. 2016 को ट्रेक्टर से जोत लगाने गये तो गैरसायलान/अपी0 सं. 1 ल0 5 द्वारा सायलान/रेस्पों. को जोत लगाने से मना कर दिया व सायलान/रेस्पों. को धमकी देने लगे कि इस वर्ष उक्त भूमि पर हम काश्त करके रहेगे। उक्त भूमि हमारे नाम खातेदारी में दर्ज है। सायलान/रेस्पों. ने गैरसायलान/अपी0 सं. 1 ल0 5 को काफी समझाया लेकिन गैरसायलान/अपी0 नहीं समझे। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया गया है कि गैरसायलान/अपी0 को ताफैसला वाद इस कदर पाबंद फरमाया जावें कि आराजी ख.नं. 4896, 5417 कुल किता 2 कुल रकबा 2.5100 है0 वाके ग्राम पीपलदा की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व गैरसायलान/अपी0 सं. 1 ल0 5 उक्त खसरा नम्बरान में सायलान/रेस्पों. के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा पैदा नहीं करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही गयी। सायलान/रेस्पों. का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से अपी0 के विरूद्व निर्णय पारित किये जाने से व्यथित होकर अपी0 द्वारा अपील पेश की गयी है।

2. अपील पेश होन पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया है कि फैसला अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.02.2019 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। विवादग्रस्त आराजी खसरा नं. 4896 रकबा 0.47 है0 एवं खसरा नं. 5417 रकबा 2.04 है0 कुल रकबा 2.51 है0 ग्राम पीपलदा कभी भी रेस्पों. के अथवा उनके पूर्वज के नाम नहीं रही है और न ही ये उनकी पैतृक आराजीयात है और न ही ऐसा कोई रिकॉर्ड अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पों. द्वारा पेश किया गया है। यहां तक कि रेस्पों. ने अपने वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:59:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

निषेधाज्ञा में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि वादग्रस्त आराजी कभी भी उनके पूर्वजों के नाम अथवा रामचन्द्र के नाम नहीं रही है। वादग्रस्त आराजी हम अपी0 सं. 01 ल0 5 के पूर्वज कल्याण के नाम ही खातेदारी एवं कब्जे काश्त में रही है कि जिस पर कब्जा भी कल्याण के समय से ही अपी0 का है तथा वर्तमान में वादग्रस्त आराजीयात के अपी0 सं. 01 ल0 5 रिकॉर्डेड खातेदार एवं काश्तकार है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपी0 सं. 01 ल0 5 के खातेदार काश्तकार होते हुए भी अपीलाधीन आदेश गलत ढंग से पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में न्यायालय सहायक भू-प्रबंधक अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय का उल्लेख करते हुए उसके आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जबकि सहायक भू-प्रबंधक अधिकारी का आदेश दिनांक 28.07.2006 को अपील में न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 16.11.15 को निरस्त किया जा चुका हैं। वादग्रस्त आराजी के संबंध में ऐसा कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है कि जो यह सिद्व करता हो कि वादग्रस्त आराजी रेस्पों. की पैतृक सम्पत्ति रही हों। वादग्रस्त आराजी अपी0 के पूर्वज कल्याण के समय से ही अपी0 सं. 01 ल0 05 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में रही है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कतई गलत ढंग से आदेश पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें। दौराने बहस अभिभाषक अपी0 द्वारा पक्षकारों के मध्य जैरकार अन्य विवाद में निगरानी सं. 1601/16 आदेश दिनांक 03.03.2016 की प्रति पेश की है।

4. विद्वान रेस्पों0 के अभिभाषक ने उपरोक्त तर्को का प्रतिरोध करते हुए अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि अपी0 व रेस्पों. ग्राम पीपलदा के निवासी है जो आपस में एक ही कुटुम्ब परिवार के व्यक्ति है जिनकी काश्त जमीन ग्राम पीपलदा में स्थित है। अपी0 व रेस्पों. का पैतृक काश्त आराजी ग्राम पीपलदा में स्थित है। मुताबिक सजरा खानदान रामचन्द्र के तीन पुत्र कल्याण, बिलास एवं लक्ष्मण ग्राम पीपलदा ठिकाना झिलाय के अधिनस्थ थे। रामचन्द्र द्वारा छोडी गई काश्त भूमि कुल 75 बीघा 8 विस्वा भूमि थी। रामचन्द्र के समय से उक्त भूमि का कोई इन्द्राज नहीं था क्योंकि उक्त भूमि बंटाई पर काश्त के लिये ठिकाने द्वारा हम पक्षकारान को दी गई थी। रामचन्द्र के फौत हो जाने के बाद बडा लडका [illegible] नाम 50 बीघा 8 विस्वा भूमि खातेदारी में आ गयी तथा बिलास के 25 बीघा भूमि [illegible]दारी में आ गयी थी। जबकि रामचन्द्र का छोटा लडका लक्ष्मण छोटी उम्र में था तब रामचन्द्र का स्वर्गवास हो चुका था तथा कल्याण व बिलास बडे चतुर पढे लिखे व समझदार व्यक्ति थे। कल्याण ने सन् 2002 से 2004 में हुआ प्रथम सैटलमेंट अधिकारियों से मिलीभगत करके लक्ष्मण के हिस्से की भूमि 25 बीघा अपने नाम लगा ली तथा रेस्पों. सं. 1 व 2 का पिताजी उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:59:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

भूमि पर काश्त करता व फसल से लाभान्वित होता चला आया था। रामपाल के फौत हो जाने पर रेस्पों. उक्त भूमि पर आज भी काश्त करते चले आ रहे है। मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2034–2037 रेस्पों. के नाम खसरा नं. 1443 में रकबा 01 बीघा 2394 रकबा 10 बीघा 7 विस्वा, 2420 रकबा 4 बीघा भूमि पर अपने कब्जे के अनुसार सहायक भू–प्रबन्धक अधिकारी, सवाई माधोपुर के न्यायालय से इन्द्राज दुरूस्त होकर रेस्पों. के नाम 15 बीघा भूमि खातेदारी में लग चुकी है तथा शेष 10 बीघा भूमि खसरा नं. 2416 रकबा 8 बीघा 12 विस्वा जिसके नये सेटलमेंट नं. 5417 रकबा 2.400 है0 भूमि तथा खसरा नं. पुराने 1453 रकबा 4 बीघा 6 विस्वा जिसके नये खसरा नं. 4896 रकबा 0.47 है0 भूमि रेस्पों. के कब्जे काश्त की खातेदारी लगने से शेष रह गई थी जिसको अपी0 सं. 1 ल0 5 ने रेस्पों. से कहा था कि आप जब भी कहेंगे हम तहसील में चलकर रजिस्ट्री करवा देंगे या राजस्व शिविर में आपके नाम लगवा देगें। इस प्रकार अपी0 ने रेस्पों. को विश्वास में ले रखा था। रामचन्द्र का दूसरा लडका बिलास के खाते में कब्जे व बंटवारा अनुसार खातेदारी में भूमि खसरा नं. 1409, 1571, 2396, 2411, 2412, 2447 कुल किता 6 कुल रकबा 21 बीघा तथा खसरा नं. 1410, 1481, 2417 लगा दिया। बिलास के लडके रामकरण, गोपाल, बद्री ने खसरा नं. 2396 रकबा 3 बीघा 16 विस्वा भूमि का जगदीश प्रसाद पुत्र कल्याणमल यादव निवासी पीपलदा को दिनांक 08.03.1990 को बेचान कर दिया है तथा नये सैटलमेंट खाता सं. 713 में दर्ज खसरा नं. 4797, 5337, 5338, 3545, 5317, 5377, 5432, 5433, 5437 कुल किता 8 कुल रकबा 4.1000 है0 तथा खाता संख्या 706 के खसरा नं. 4798 रकबा 0.2300 है0 खाता संख्या 709 में दर्ज खसरा नं. 5431/6101, 5438, 5439, 5452, 5453, 5454 कुल किता 6 कुल रकबा 2.0700 है0 जिसमें से रामकरण वगै0 का हिस्सा 1/2 यानी 4 बीघा 4 विस्वा भूमि प्राप्त है तथा रामकरण वगै0 ने जगदीश यादव को विक्रय की गई भूमि के खाता सं. 252 खसरा नं. जो पुराने ख.नं. 2396 से नये खसरा नं. बने है 5166/6498, 5742, 5743, 5751 कुल रकबा 0.9600 है0 भूमि इस प्रकार पुराने खसरा नं. से व नये सैटलमेंट से बिलास के लडके रामकरण वगै0 के 25 बीघा 13 विस्वा भूमि हिस्से में आई है। रेस्पों. कि शेष भूमि खसरा नं. 5417 रकबा 2.0400 है0 व ख.नं. 4896 रकबा 0.47 है0 भूमि पर आज भी कब्जा काश्त रेस्पों. का चला आ रहा है। उक्त भूमि के एकमात्र स्वामी हम रेस्पों. ही है। अन्य [illegible] का उक्त भूमि से कोई लेना देना व किसी प्रकार का कोई वास्ता नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो का विधि पूर्वक अध्ययन एवं मनन कर के अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपी0 की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:59:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.02.2018 में आदेशित किया है कि "मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें एवं अप्रार्थी सं. 1 ल0 5 उक्त खसरा नम्बरान में प्रार्थीगण को काश्त करने एवं उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें" पक्षकारान के अधिकार तय करने बावत् विचारण न्यायालय में वाद विचाराधीन है जिसमें अधिकारों का तय होना शेष है। पक्षकारों के मध्य अन्य विवाद की निगरानी सं. 1601/16 बजरंगी बाई बनाम गिर्राज में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 03.03.2016 को " विवादित आराजी के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की आज की स्थिति नियत दिनांक तक यथावत कायम रखी जावें" आदेश पारित किया है। अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

6. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर बौंली के मु0नं0 62/16 निर्णय दिनांक 27.02.2018 को संशोधित किया जाता है कि अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे आराजी खसरा नं. 4896 रकबा 0.47 है0 एवं खसरा नं. 5417 रकबा 2.04 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.51 है0 वाके ग्राम पीपलदा की मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

7. निर्णय आज दिनांक 15.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15.12.21

(बी0एल0रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:59:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner